



प्रेस नोट

चन्दौली पुलिस एवं एटीएस द्वारा लगभग 3,50,000 रु० की जाली मुद्रा बरामद जाली मुद्रा के वाहक के लिए नाबालिग का होता था प्रयोग

दिनांक : 17 अक्टूबर, 2018

आज दिनांक 17-10-18 को थाना-चकिया, चन्दौली पुलिस एवं एटीएस की वाराणसी फील्ड यूनिट द्वारा 3,40,000 रु० मूल्य की भारतीय जाली मुद्रा के साथ एक नाबालिग अपचारी को चन्दौली के चकिया से पकड़कर नाबालिगों की गिरफ्तारी से सम्बंधित नियमों का पालन करते हुए कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में मु०अ०सं०- 222/18 धारा 489ख, 489ग भादवि थाना चकिया, जनपद चन्दौली उ०प्र० में पंजीकृत कराया गया है।

पूछताछ का विवरण

- गैंग का सरगना कोई अन्य व्यक्ति है जो महाराष्ट्र के पुणे में रहकर भारतीय जाली मुद्रा का कारोबार करता है।
- सरगना के पास 3-4 लडके बिहार के रहते हैं जिनके माध्यम से माल्दा पश्चिम बंगाल के बप्पा नाम के व्यक्ति के माध्यम से बांग्लादेश से भारतीय जाली मुद्रा मँगवाकर महाराष्ट्र के बाजारों में चलवाया जाता है।
- नाबालिग अपचारी भी कैरियर का काम करता है जिसे एक बार माल लाने पर 5000 रु० प्राप्त होते थे।
- यह पहले भी माल्दा से माल ला चुका है। वहां 35,000/रु० असली रूपये से 100000/रु० नकली नोट मिलता है, एवं अच्छी क्वालिटी के जाली नोट 40,000/रु० में 100000/रु० मिलते हैं।

बरामदगी का विवरण

1. 2000 रु० के नोट	170
कुल -3,40,000 रु०	
2. पिड्डू बैग	1 अदद
3. मोबाइल फ़ोन	1 अदद

गिरफ्तार करने वाली टीम

एटीएस वाराणसी फील्ड यूनिट के निरीक्षक शैलेन्द्र त्रिपाठी, उ०नि० रितेश सिंह, मु०आ० आलोक सिंह, मु०आ० बरकत अंसारी, आरक्षी रणविजय तिवारी, आरक्षी प्रभात द्विवेदी, आरक्षी नितेंद्र कृष्ण यादव एवं चन्दौली पुलिस के प्रभारी निरीक्षक- थाना चकिया श्री अश्वनी चतुर्वेदी, उ०नि० अमित कुमार, आरक्षी विनोद कुमार, आरक्षी हरेन्द्र कुमार

-असीम अरुण

आई.जी. एटीएस, उ.प्र.